संख्याः 4376 07 /XVII-C-1/12(18)/2018 रिट ई–94784/2026 )

प्रेषक,

युगल किशोर पन्त,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1– समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/
सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2– मण्डलायुक्त गढ़वाल एवं कुंमाऊ।
3– समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
4– समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग देहरादूनः दिनांकः 01 अक्टूबर सितम्बर, 2026

विषयः– विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को न्यूनतम वेतन भुगतान के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक इस विभाग के शासनादेश संख्या–I/431737/XVII-C-1/12(18)/2018 रिट, दिनांक 14 सितम्बर, 2026, का सन्दर्भ ग्रहण करें, जिनके द्वारा विभिन्न विभागों में उपनल के माध्यम से आउटसोर्स द्वारा कार्ययोजित कार्मिकों को जनहित याचिका संख्या 116/2018 में मा0 उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा 12.11.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं।

2– उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि सम्यक विचारोपरान्त उपरोक्त शासनादेश संख्या– I/431737/ XVII-C-1/12(18)/2018 रिट, दिनांक 14 सितम्बर, 2026 के प्रस्तर–2(1) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता हैः–

(1) "उपनल कार्मिकों को पद के सापेक्ष वेतनमान का न्यूनतम एवं महँगाई भत्ते सहित प्रदान किये जाने की कार्यवाही वर्तमान में गतिमान है जिसमें 01.01.2016 के पूर्व नियोजित उपनल कार्मिकों के साथ–साथ 01.01.2016 से 12.11.2018 तक (द्वितीय चरण) के नियोजित उपनल कार्मिकों को भी सम्मिलित करते हुए वेतनमान का न्यूनतम एवं महँगाई भत्ते सहित प्रदान किये जाने की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से प्रारंभ की जायेगी। शेष 13.11.2018 से पात्रता की कट ऑफ डेट 15.10.2024 तक के नियोजित/कार्योजित उपनल कार्मिकों को वेतनमान एवं महँगाई भत्ता दिये जाने की कार्यवाही 01 अप्रैल 2027 से प्रारम्भ की जायेगी।"

3 – उपरोक्त शासनादेश संख्या– I/431737, दिनांक 14 सितम्बर, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाए। उक्त शासनादेश के अन्य प्रावधान/निर्णय यथावत लागू रहेंगे।

4– यह आदेश वित्त विभाग के ई ऑफिस के माध्यम से ई–जनरेट संख्या 437612

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamS

दिनांक 01 अक्टूबर, 2026 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय
Digitally signed by
Yugal Kishore Pant
Date: 01-10-2026
18:01:36
(युगल किशोर पन्त)
सचिव।

संख्याः / XVII-C-1 / 12(18) / 2018 रिट ई–94784 / 2026)(1) तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
2– सचिव, मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यंमत्री जी के संज्ञानार्थ।
3– निजी सचिव, मा0 विभागीय मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
4– स्टाफ ऑफिसर मुख्य सचिव को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
5– महानिबन्धक, मा0 उच्च न्यायालय नैनीताल।
6– मुख्य स्थायी अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल।
7– निदेशक, कोषागार पेंशन एवं हकदारी, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
8= निदेशक, विभागीय लेखा, 23–लक्ष्मी रोड़, देहरादून।
9– समस्त मुख्य / वरिष्ठ कोषाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
10– प्रभारी मीडिया सेन्टर सचिवालय परिसर, देहरादून।
11– निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0), सचिवालय परिसर, देहरादून।
12– प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0 (उपनल), देहरादून।
13– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Bhuwan Chandra Joshi
Date: 01-10-2026

(भुवन चन्द्र जोशी )
अनु सचिव

Scanned with OKEN Scanner
Scanned with CamS